उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्याः-1359 /77-6-17-5(एम)/17
लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु संलग्न नियमावली निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नकःयथोक्त।

(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः-1359 (1) /77-6-17-5(एम)/2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालयं, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवंऔद्योगिक विकास विभाग।
10. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(अलकनंदा दयाल)
सचिव।

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के कियान्वयन सम्बन्धी नियमावली

1.0 संक्षिप्त नाम:

1.1 यह नियमावली "औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के कियान्वयन सम्बन्धी नियमावली" कहलाएगी।

1.2 यह नियमावली दिनांक 13.7.2017 से उस अवधि तक प्रभावी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नही किया जाता है।

2.0 परिभाषायें:

2.1 **"स्वीकार्य पूँजी निवेश"** का तात्पर्य, मेगा श्रेणियों के औद्योगिक उपकमों के सन्दर्भ में, बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में पात्र पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत एवं मध्यांचल क्षेत्र में पात्र पूँजी निवेश का 200 प्रतिशत, से है।

2.2 **"स्वीकार्यता की तिथि"** का तात्पर्य औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत सुविधाओं के आहरण के प्रयोजनार्थ उस तिथि से है जिस पर औद्योगिक उपकम द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार पात्र पूँजी निवेश की थ्रैशोल्डसीमा प्राप्त कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किसी औद्योगिक उपकम द्वारा प्रस्तावित पूँजी निवेश को चरणबद्ध रूप से किया जाता है, वहॉ ऐसे औद्योगिक उपकम द्वारा किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो एवं सुविधाओं हेतु आवेदन करने से पूर्व स्वीकार्यता की तिथि पर पहुंच गया हो। स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे औद्योगिक उपकम, जोकि प्रभावी तिथि के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करते हैं, सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

2.3 **"पूँजीगत निवेश"** का तात्पर्य है:

2.3.1 लघु व मध्यम औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में, पात्र निवेश की अवधि के भीतर भूमि, भवन व ऐसे यंत्र एवं संयत्रों में किया गया निवेश, जैसा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में लघु एवं मध्यम उद्यमों के सन्दर्भ में परिभाषित है;

2.3.2 वृहत्, मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में श्रेणी के अनुसार पात्र निवेश की अवधि के भीतर (औद्योगिक उपकम की श्रेणी के अनुसार) भूमि, भवन, यंत्र एवं सयंत्र, यूटिलिटीज, टूल्स एवं उपकरण तथा ऐसी अन्य सम्पत्तियों, जो अन्तिम उत्पाद के उत्पादन में सहायक हो, में किया गया निवेश। पूँजीगत निवेश के उदेद्श्य हेतु निम्न को माना जाएगा, जिसकी लागत औद्योगिक उपकम द्वारा वहन की गई हो :

तालिका–1

अ.	भूमि	परियोजना हेतु भूमि के मूल्य हेतु भूमि के पंजीकृत दस्तावेज में उल्लिखित वास्तविक क्रय मूल्य एवं स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क मान्य होगा। यदि भूमि उ.प्र. औद्योगिक विकास निगम लि. अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा आबंटित की गई हो, तो वास्तविक आबंटन मूल्य को भूमि की लागत में सम्मिलित किया जाएगा। किन्तु पात्र पूँजी निवेश के अन्तर्गत भूमि के अंश के मद में कुल पात्र पूँजी निवेश की राशि की 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही सम्मिलित की जायेगी।
ब.	भवन	भवन का तात्पर्य परियोजना हेतु निर्मित नये भवन से है जिसमें प्रशासनिक भवन सम्मिलित है। यंत्र एवं सयंत्रों की स्थापना, अनुसधान एवं विकास गतिविधियों, आन्तरिक (इन–हाउस) परीक्षण सुविधाओं, भण्डारण सुविधाओं, एवं उत्पादन प्रकिया से सम्बन्धित नये भवनों के निर्माण में की गई लागत को वास्तविक व्यय के आधर पर भवन के मूल्य हेतु आगणित किया जाएगा।
स.	अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का तात्पर्य कम्पाउण्ड दीवार तथा द्वार, सुरक्षा केबिन, आन्तरिक सड़के, बोर वेल, पानी की टंकियॉ, जल व गैस की आन्तरिक पाइप लाइन्स, नेटवर्क एवं अन्य सम्बन्धित निर्माण से है।
द.	यंत्र एवं संयत्र	यंत्र एवं सयंत्र का तात्पर्य नये स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं सयंत्र, यूटिलिटीज, डाइज, मोल्ड्स से है जिसमें यातायात की लागत, नीव, इरेक्शन, इन्स्टॉलेशन तथा इलेक्ट्रिफिकेशन सम्मिलित हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की लागत में सब–स्टेशन व ट्रान्सफॉर्मर का मूल्य सम्मिलित होगा। ऐसे अन्य टूल तथा उपकरण, जोकि उत्पादन में सहायक हो, भी सम्मिलित किए जाएंगे।
	यंत्र एवं संयत्र में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगें	1. गैर–पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन का प्लाण्ट 2. औद्योगिक इकाई परिरार के भीतर परिवहन हेतु वाहन एवं माल–संचालन से सम्बन्धी उपकरण जोकि केवल ऐसे परिसर के भीतर माल के संचालन हेतु उपयोगी हों। 3. कैप्टिव पावर जनरेशन/को–जनरेशन प्लाण्ट। 4. जल के प्योरिफिकेशन का यंत्र 5. प्रदूषण नियंत्रण के प्रयोजनार्थ यंत्र, जिसमें इफ्लुएन्ट्स/उत्सर्जनों अथवा ठोस/गैसीय वेस्ट का संग्रह, ट्रीटमेण्ट, डिस्पोजल की सुविधा सम्मिलित है। 6. डीजल जनरेटिंग सेट्स एवं ब्यालयर।
य.	अवस्थापना सुविधाएं	जैसा प्रस्तर 2.17 में परिभाषित की गई है।

2.4 "कट ऑफ तिथि" का तात्पर्य निवेश को प्रारम्भ किए जाने की उस तिथि से है जिसका विकल्प आवेदक द्वारा चुना गया हो।

2.5 "**वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि**" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस पर औद्योगिक उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो, जैसा कि सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो अथवा जैसा कि किसी चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

2.6 "**जमा की गई जी.एस.टी**"एवं "जी.एस.टी."का तात्पर्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा यथास्थिति, किसी त्रैमास अथवा वित्तीय वर्ष में जमा किए गये नेट एसजीएसटी की राशि से है।

2.7 "**प्रभावी तिथि**" का तात्पर्य उस तिथि से है जिससे यह नियमावली प्रभावी होगी, अर्थात दिनांक 13.7.2017, जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 की विज्ञप्ति की तिथि है।

2.8 "**प्रभावी अवधि**" का तात्पर्य दिनांक 13.7.2017 से इस नियमावली के राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा निरसन की तिथि तक की अवधि से है।

2.9 "**पात्र पूँजी निवेश**" का तात्पर्य ऐसे पूँजी निवेश से है जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार, पात्र निवेश की अवधि के भीतर किया गया हो, अलावा यह कि, श्रेणीवार, 3, 4, 5 अथवा 7 वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर रहते हुए, वाणिज्यिक उत्पादन को प्रारम्भ किए जाने की तिथि के पश्चात् किया गया पूँजी निवेश, पूंजी निवेश की 10 प्रतिशत की सीमा तक, पात्र पूँजी निवेश में सम्मिलित किया जायेगा।

2.10 "**पात्र औद्योगिक उपक्रम**" का तात्पर्य ऐसे नए, विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित औद्योगिक उपक्रम से हैं,

2.10.1 जोकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अन्तर्गत लघु अथवा मध्यम उद्यम परिभाषित हो;

2.10.2 जोकि एक वृहत् औद्योगिक उपक्रम है एवं जिसमे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 में मध्यम उद्यम हेतु निर्धारित निवेश सीमा से अधिक निवेश हो, तथा जिसमें पूँजीगत निवेश की अधिकतम सीमा, बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के जिलों में रू. 100 करोड़ तक, मध्यान्चल एवं पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद जिलों को छोड़) के जिलों में रू.150 करोड़ तक, एवं गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद जिलों में रू. 200 करोड़ तक हो।

2.10.3 मेगा औद्योगिक उपक्रम, (जिसमें ऐसे औद्योगिक उपक्रम सम्मिलित नही किए जायेंगे जो कि संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो जिसमे सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम की अंश पूँजी 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो) जिन्हें इस नियमावली द्वारा मेगा, मेगा प्लस अथवा सुपर मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया हो एवं निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करते हो:

तालिका–2

श्रेणी	न्यूनतम पात्रता आवश्यकता		
	गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद	मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद को छोड़ कर)	बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल
मेगा	रु० 200 करोड़ से अधिक परन्तु रु० 500 करोड़ से कम का पूँजी निवेश या 1000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार	रु० 150 करोड़ से अधिक परन्तु रु० 300 करोड़ से कम का पूँजी निवेश या 750 से अधिक श्रमिकों को रोजगार	रु० 100 करोड़ से अधिक परन्तु रु० 250 करोड़ से कम का पूँजी निवेश या 500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार
मेगा प्लस	रु० 500 करोड़ अथवा इससे अधिक परन्तु रु० 1000 करोड़ से कम का पूँजी निवेश या 2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार	रु० 300 करोड़ अथवा इससे अधिक परन्तु रु० 750 करोड़ से कम का पूँजी निवेश या 1500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार	रु० 250 करोड़ अथवा इससे अधिक परन्तु रु० 500 करोड़ से कम का पूँजी निवेश या 1000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार
सुपर मेगा	रु० 1000 करोड़ अथवा इससे अधिक का पूँजी निवेश या 4000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार	रु० 750 करोड़ अथवा इससे अधिक का पूँजी निवेश या 3000 सेअधिक श्रमिकों को रोजगार	रु० 500 करोड़ अथवा इससे अधिक का पूँजी निवेश या 2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार
बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल के अन्तर्गत जिलों की सूची अनुलग्नक–5 पर है।			

2.11 "निवेश की पात्र अवधि" का तात्पर्य

2.11.1 लघु व मध्यम औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में, इस नियमावली की प्रभावी अवधि के भीतर पड़ने वाली कट–ऑफ तिथि से 3 वर्ष अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि से है।

ऐसे प्रकरण भी इसमें आच्छादित होंगे जिनमें कट ऑफ तिथि, प्रभावी तिथि के तत्काल पूर्ववर्ती 3 वर्ष की अवधि में पड़ती हो किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रभावी तिथि पर अथवा इसके पश्चात् प्रारम्भ हो एवं किसी भी दशा में, निवेश की पात्र अवधि 3 वर्ष से अधिक न हो।

2.11.2 वृहत् औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में, इस नियमावली की प्रभावी अवधि के भीतर पड़ने वाली कट ऑफ तिथि से 4 वर्ष, अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि से है।

ऐसे प्रकरण भी इसमें आच्छादित होंगे जिनमें कट ऑफ तिथि, प्रभावी तिथि के तत्काल पूर्ववर्ती 4 वर्ष की अवधि में पड़ती हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रभावी तिथि पर अथवा इसके पश्चात् प्रारम्भ हो एवं किसी भी दशा में, निवेश की पात्र अवधि 4 वर्ष से अधिक न हो।

2.11.3 मेगा एवं मेगा प्लस औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में, प्रभावी अवधि के भीतर पड़ने वाली कट ऑफ तिथि से 5 वर्ष, अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि से है।

ऐसे प्रकरण भी इसमें आच्छादित होंगे जिसमें कट ऑफ तिथि, प्रभावी तिथि के तत्काल पूर्ववर्ती 3 वर्ष की अवधि में पड़ती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पात्र पूँजी निवेश का न्यूनतम 40 प्रतिशत पूँजी निवेश प्रभावी तिथि के पश्चात किया जाता है। किसी भी दशा में निवेश की पात्र अवधि 5 वर्ष से अधिक नही होगी।

2.11.4 सुपर मेगा औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में, प्रभावी अवधि के भीतर पड़ने वाली कट ऑफ़ तिथि से 7 वर्ष, अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि से है।

ऐसे प्रकरण भी इसमें आच्छादित होंगे जिसमें कट ऑफ तिथि, प्रभावी तिथि के तत्काल पूर्ववर्ती 3 वर्ष की अवधि में पड़ती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पात्र पूँजी निवेश का न्यूनतम 40 प्रतिशत पूँजी निवेश प्रभावी तिथि के पश्चात किया जाता है। किसी भी दशा में निवेश की पात्र अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीहोगी।

2.12 "कर्मचारियों" का तात्पर्य औद्योगिक उपकम के वेतन–पत्रक (पे–रोल) पर सभी कर्मचारी/कर्मी से है।

2.13 "विस्तारीकरण/विविधीकरण" का तात्पर्य है जहॉ वर्तमान औद्योगिक उपकम नये पूँजी निवेश द्वारा अपने ग्रॉस ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

2.14 "वृद्धिशील (इन्क्रिमेण्टल) विकय धन" का तात्पर्य विस्तारीकरण के पश्चात् वर्तमान विकय धन एवं आधारभूत उत्पादन के विकय धन के अन्तर से है।

2.15 "अपात्र पूँजी निवेश"

निम्नलिखित को पूँजी निवेश की गणना में नही सम्मिलित किया जाएगा:

1. कार्यशील पूँजी
2. गुडविल
3. रायल्टी
4. प्रिलिम्नरी व प्रिऑपरेटिव व्यय
5. ब्याज जिसे कैपिटलाइज किया गया है
6. स्वयं उपयोग के अलावा विद्युत उत्पादन
7. तकनीकी कार्यज्ञान (knowhow) शुल्क/परामर्शी शुल्क

2.16 **"औद्योगिक उपक्रम"** का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो किसी ऐसी संस्था के स्वामित्व में हो जो कम्पनी, साझेदारी फर्म, (जिसमें एल.एल.पी., सोसाइटी, न्यास, औद्योगिक सहकारिता समिति, अथवा स्वामित्व फर्म सम्मिलित हैं)-के रूप में गठित हो, एवं जो सामग्री के निर्माण, उत्पादन, प्रौद्योगिकी अथवा ठेके के कार्य में प्रवृत्त हो अथवा प्रवृत्त होना प्रस्तावित कर रही हो। औद्योगिक उपकम में वे उद्यम भी सम्मिलित होंगे जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्राविधानित किया जाता है किअस्पताल, मेडिकल/डेण्टल कॉलेज, एवं शिक्षण संस्थान जो कि मेगा श्रेणियों द्वारा परिभाषित पूँजी निवेश करते हैं,एवं ऐसे अन्य सेवा क्षेत्र के उद्योग जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, भी इस नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

ऐसे औद्योगिक उपक्रम जोकि प्रतिबंधित उद्योगों की सूची में अधिसूचित किए जाते हैं, सुविधाओं हेतु अपात्र होंगे।

2.17 **"अवस्थापना सुविधाओं"** से तात्पर्य ऐसी नई सड़के, सीवर लाइन, जल निकासी, पावर लाइन, रेलवे साइडिंग, अवस्थापना सुविधाएं (जिसमे ऐसी अन्य सुविधाएं जो कि इकाई के संचालन हेतु आवश्यक हों) से है जोकि औद्योगिक उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापकीय ट्रंक लाइनों से जोड़ती हो। इसके अलावा औद्योगिक उपक्रम के स्वयं प्रयोग हेतु इफ्लुएन्ट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना भी इसमें सम्मिलित होगी। परन्तु यदि आवेदनकर्ता द्वारा ब्याज पूँजी उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, एवं औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास हेतु ऋण पर ब्याज उपादान, तीनों सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया है, तो इनमें किसी एक प्रकृति की सुविधा के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वालेमदों को अन्य श्रेणी की सुविधा/सुविधाओं के अन्तर्गत पात्रता के आगणन हेतु सम्मिलित नही किया जायेगा।

2.18 **"नोडल संस्था"** का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश (पिकप) से है।

2.19 **"थ्रैशोल्ड पूँजी निवेश"** का तात्पर्य किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार आवश्यक पात्र पूँजी निवेश का वह न्यूनतम स्तर है, जिसके पश्चात् इस नियमावली के अन्तर्गत वह सुविधाओं के वितरण हेतु अर्ह होगा, यथा निम्नवत् न्यूनतम पात्र पूँजी निवेश-

श्रेणी	क्षेत्र	न्यूनतम पात्र पूँजी निवेश
मेगा	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल	रू. 100 करोड़ से अधिक
	मध्यांचल एवं पश्चिमांचल	रू. 150 करोड़ से अधिक
	जिला गौतमबुद्ध नगर एवं जिला गाजियाबाद	रू. 200 करोड़ से अधिक
मेगा प्लस	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल	रू. 250 करोड़
	मध्यांचल एवं पश्चिमांचल	रू. 300 करोड़
	जिला गौतमबुद्ध नगर एवं ज़िला गाजियाबाद	रू. 500 करोड़
सुपर मेगा	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल	रू. 500 करोड़
	मध्यांचल एवं पश्चिमांचल	रू. 750 करोड़
	जिला गौतमबुद्ध नगर एवं जिला गाजियाबाद	रू. 1000 करोड़

2.20 "आधारभूत उत्पादन का बिक्रीधन" का तात्पर्य इकाई द्वारा वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि जिस वित्तीय वर्ष में हो, उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 5 वर्षों में (अथवा 5 वर्षों से कम, यदि इकाई 5 वर्ष से कम अवधि में कार्यरत रही है) जिस वर्ष में अधिकतम विक्रयधन प्राप्त किया गया हो, एवं यदि चरणबद्ध रूप में परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, तो प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के पूर्ववर्ती 5 वर्षों में जिस वर्ष में अधिकतम विक्रयधन प्राप्त किया गया हो।

2.21 "अकुशल कर्मियों" का तात्पर्य औद्योगिक उपकम के वेतन–पत्रक पर अकुशल कर्मियों से है।

3.0 अनुमन्य सुविधायें

औद्योगिक उपकम, जोकि नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे अपनी श्रेणी हेतु स्वीकार्य पूँजी निवेश की 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक, एवं निम्न तालिका में इंगित अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा/अवधि तक सीमित रहते हुए, सुविधाओं हेतु पात्र होगें; प्रतिबन्ध यह है कि वर्षवार समस्त सुविधाओं का योग उस वित्तीय वर्ष में जमा किये गये जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा। पात्र इकाई अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित सुविधाओं हेतु अर्ह होगी :–

3.1 भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट– 100 प्रतिशत बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में, 75 प्रतिशत मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतम बुद्व नगर एवं गाजियाबाद जिले को छोड़कर) क्षेत्र में एवं 50 प्रतिशत गौतमबुद्व नगर एवं गाजियाबाद जिले में।

3.2 जमा किये गये जीएसटी की तालिका 3 मे दर्शाये गये विवरण के अनुसारप्रतिपूर्ति ।

3.3 सभी पात्र नई औद्योगिक उपकमों, जिनमें 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.)में श्रमिकों के पक्ष में जमा की गयी नियोक्ता योगदान की राशि की 50 प्रतिशत धनराशिकी प्रतिपूर्ति तालिका 3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार।

श्रेणी अनुसार सुविधाओं की प्रतिपूर्ति की मात्रा, सीमा एवं अवधि

तालिका–3

उद्योग की श्रेणी	जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा (प्रतिशत)	अवधि (वर्ष)	अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम वार्षिक सीमा (प्रतिशत)	अनुमन्य पूँजी निवेश(प्रतिशत)			
				बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल	मध्यांचल	पश्चिमांचल	गौतम बुद्व नगर एवं गाजियाबाद
जी.एस.टी.(जमा किये गये जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की पात्रता त्रैमासिक आधार पर होगी।)							
लघु	90	5	20	100	90	90	80

मध्यम	60	5	20	100	90	90	80
वृहत्	60	5	20	100	90	90	80
मेगा / मेगा प्लस / सुपर मेगा	70	10	20	300	200	100	80
स्टाम्प शुल्क (प्रतिशत)							
				बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल	मध्यांचल	पश्चिमांचल	गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद
समस्त इकाईयाँ				100	75	75	50
औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग / एस.सी. / एस.टी. / महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में अतिरिक्त 20 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 100 प्रतिशत)							
कर्मचारी भविष्य निधि(ई0पी0एफ0)(इस प्रतिबंध के साथ कि 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो)							
समस्त इकाईयाँ		5		नियोक्ता अंशदान का 50 प्रतिशत, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात्			
औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग / एस.सी. / एस.टी. / महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में अतिरिक्त 10 प्रतिशत ई0पी0एफ0 (नियोक्ता योगदान)की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 70 प्रतिशत)							

3.4 निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पश्चिमांचल क्षेत्र में 400 या उससे अधिक श्रमिकों एवं बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्र में 200 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की दशा में राज्य सरकार के खाते में जमा किये गये जी.एस.टी. का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा :–

3.4.1 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कम से कम 25 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देने पर।

3.4.2 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार देने पर।

3.4.3 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत एस.सी / एस.टी. श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार देने पर।

3.5 पात्र औद्योगिक उपक्रम निम्नलिखित सुविधाओं हेतु भी अर्ह होगें :–

3.5.1 प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी

जायेगी कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) उपलब्ध करायी जायेगी।

3.5.2 अवस्थापना सुविधाओं (जैसा कि प्रस्तर 2.17 में परिभाषित किया गया है) के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त अवस्थापना ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) उपलब्ध करायी जायेगी।

3.5.3 औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाइयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लांट, मशीनरी एवं इक्यूपमेण्ट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक ब्याज प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी।

3.5.4 राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतू छूट अनुमन्य होगी।

3.5.5 सभी नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा स्वयं प्रयोग हेतु कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा।

3.5.6 सभी नये खाद्य–प्रसंस्करण उपक्रमों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के क्रय पर 5 वर्ष तक के लिए मण्डी शुल्क से छूट उपलब्ध करायी जाएगी।

3.5.7 उद्योग/उपक्रम, जोकि जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत इनपुट टैक्स केडिट हेतु अपात्र हैं, कय किये गये यंत्र एवं सयंत्र, निर्माण सामग्री एवं निर्माण और प्रचलन (कमीशनिंग) अवधि में कय किये अन्य पूँजीगत/कच्चे माल इत्यादि पर जमा किये गये जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे। सम्पूर्ण पात्र पूँजी निवेश की गणना के समय इस प्रकार की राशि पूँजी निवेश में सम्मिलित की जायेगी।

3.5.8 औद्योगिक उपकमों द्वारा कम से कम 200 प्रत्यक्ष श्रमिकों (कुशल और अकुशल) को रोजगार उपलब्ध कराने पर नियोक्ता अंशदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत ई0पी0एफ0 की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

3.5.9 दिव्यांग श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले औद्योगिक उपकमों को प्रत्येक ऐसे श्रमिक हेतु रू. 500/– प्रतिमाह की राशि पे–रोल सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

3.6 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पहले ही प्राप्त कर चुकीसुविधाओं, यथा–इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, मण्डी शुल्क में छूट इत्यादि (पूँजी निवेश के मद से असम्बन्धित) की राशि का समायोजन प्रथम वर्ष में कुल अर्ह देय सुविधाओं की राशि से किया जायेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में सुविधाओं की राशि अर्ह देय सुविधाओं की राशि से अधिक होती है तो ऐसी सुविधाओं की अतिरिक्त राशि को अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जायेगी कि औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी के अनुसार समस्त सुविधाओं की राशि अनुमन्य सीमा की राशि से अधिक नही होगी।

3.7 सुविधाओं की संरचना के अन्तिमीकरण हेतु मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों के प्रस्ताव केस टू केस आधार पर संसाधित (प्रोसेस) किये जायेंगे एवं इसमें ऐसी सुविधाएं भी सम्मिलित होगी, जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 से अधिक अथवा ऊपर हैं।

3.8 मेगा श्रेणियों के प्रकरणों में यथावश्यक सुसंगत नियमों के अन्तर्गत भूमि के आबंटन हेतु इम्पावर्ड कमेटी संबंधित विभाग/विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड/यू.पी.एस.आई.डी.सी/यूपिडा इत्यादि को निर्देश जारी करेगी।

3.9 नियमावली में उल्लिखित सभी सुविधायें (सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली ड्यूटी/शुल्क में छूट से सम्बन्धित सुविधाओं को छोड़कर) नोडल संस्था द्वारा वितरित की जायेंगी।

3.10 राज्य सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत और अन्य नीतियों के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले औद्योगिक उपक्रम इस नियमावली के अन्तर्गत भी सुविधायें प्राप्त करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ पात्र होंगे कि अन्य नीति में समान प्रकृति की सुविधा प्राप्त नही की जा रही है। यदि कोई औद्योगिक उपक्रम उद्योग विशिष्ट नीतियॉ यथा कृषि एवं खाद्य–प्रसंस्करण नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आदि के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त कर रहा है तो उस प्रकृति की सुविधा इस नियमावली के अन्तर्गत उपलब्ध नही करायी जायेगी।

3.11 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उस माल का निर्माण किया जायेगा जिस पर सुविधायें प्राप्त करने हेतु वे पात्र हैं।

4.0 अन्य प्रावधान/शर्तें

4.1 **चरणबद्ध उत्पादन:** लघु, मध्यम एवं वृहत् श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को, जो विभिन्न चरणों में परियोजना स्थापित करना चाहते है, प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने से पूर्व आवेदन करना होगा।

4.2 **लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी):** वृहत्, मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों के केस में सुविधाओं की पात्रता हेतु नियमावली की प्रभावी अवधि के भीतर प्रदेश सरकार के स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

4.3. **अप्रेजल नोट उपलब्ध कराया जाना:** सभी श्रेणियों के औद्योगिक उपक्रमों को स्वीकृति पत्र/एल.ओ.सी. जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर किसी शिडयूल्ड वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा इन बैंको के नियन्त्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना की अप्रेजल नोट की प्रति नोडल संस्था को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण नही प्राप्त किया जा रहा हो तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओं में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल करवाना अनिवार्य होगा।

4.4. **विस्तारीकरण एवं विविधीकरण:**

4.4.1 विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के प्रकरणों में होने वाला वृद्धिशील (इन्क्रिमेण्टल) निवेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत सुविधाओं हेतु पात्र होगा।

4.4.2 ऐसे सभी प्रकरणों में आधारभूत उत्पादन के विक्रयधन पर देय वैट/जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही होगी।

4.4.3 विस्तारीकरण/विविधीकरण प्रस्तावित करने वाले औद्योगिक उपक्रमों कोविस्तारीकरण/विविधीकरण परियोजनाओं हेतु स्वतंत्र लेखा अभिलेख रखने होंगे। यदि ऐसा करना सम्भव न हो, तो ऐसी दशा में सुविधाओं का निर्धारण वृद्धिशील विक्रयधन के आधार पर किया जायेगा।

4.4.4. इस नियमावली के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त करने वाले नये औद्योगिक उपक्रम विस्तारीकरण/विविधीकरण की दशा में भी सुविधायें प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

4.5 **अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत मेगा प्रकरण:** ऐसे आवेदकों के प्रस्ताव, जिनके आवेदनों पर अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त करने हेतु इम्पावर्ड कमेटी द्वारा विचार किया गया थापरन्तु अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है, पूर्व मेगा नीति (अ.औ.नि.नी–2012) के अन्तर्गत विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

4.6. **सूचनायें उपलब्ध कराया जाना:** सुविधाओं के वितरण की शर्तों के अनुसार, सभी पात्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा समय समय पर आवश्यक जानकारी यथा उत्पादन का विस्तृत विवरण, विक्रय, उत्पादन में रूकावट (यदि कोई हो), इकाई की बंदी, आदि स्पष्ट कारणों सहित, स्थायी पूँजी निवेश में वृद्धि का सत्यापित विवरण (यदि कोई हो), स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय/नुकसान (यदि कोई हो), एवं इकाई के संविधान में बदलाव, पात्र इकाई का अंकेक्षित लेखा विवरण और आर्थिक चिट्ठा (प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर), इत्यादि नोडल एजेन्सी अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा–अपेक्षित उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

4.7 **परियोजना के पैरामीटर्स में परिवर्तन:** औद्योगिक उपक्रमों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव जिससे इसकी श्रेणी मे परिवर्तन उत्पन्न हो, लैटर

ऑफ कम्फर्ट की शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिये गये आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर स्वीकृति प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

4.8 **एल ओ सी का निरस्तीकरण:**

4.8.1 सुविधाओं की निर्धारित सीमा (मात्रा/अवधि) पूरी होने पर अथवा नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन होने पर लैटर ऑफ कम्फर्ट स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

4.8.2 यदि औद्योगिक उपकमों द्वारा दी गयी जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाते हैं अथवा भौतिक तथ्यों को छिपा कर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में लैटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति पत्र निरस्त किये जायेगे एवं औद्योगिक उपकम को वितरित की गयी सभी सुविधाओं की राशि प्रदेश के प्रचलितअधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी।

5.0 **प्रसंस्करण, स्वीकृति एवं वितरण की प्रकिया**

5.1 **लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपकम**

5.1.1 आवेदन जमा किया जाना :नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु सभी प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक–I) नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेगें।नोडल संस्था प्रार्थना पत्रों को संबंधित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रको प्रसंस्करण हेतु अग्रसारित करेगी।

5.1.2 सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदक द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रको सीधे प्रदान किए जाएंगे।

5.1.3 नोडल संस्थाद्वारा प्रार्थना पत्रों की स्थिति एवं प्रगति की परिवीक्षा की जायेगी।

5.1.4 प्रसंस्करण एवं संवीक्षा : संबन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रद्वारा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से प्रार्थना पत्रों को संवीक्षित एवं प्रसंस्करणित कर सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त उद्योग को अग्रसारित किया जायेगा, जिनके द्वारा स्वीकृति समिति की बैठक आहूत की जायेगी।

5.1.5 स्वीकृति : सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:

i. सम्बन्धित जिले के अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व)
ii. उप निदेशक/सहायक महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, स्टाम्प
iii. सम्बन्धित जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र

iv. सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि जिनसे कि वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है
v. संयुक्त आयुक्त उद्योग–संयोजक

समिति की बैठक में आवेदकऔद्योगिक उपक्रम के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे; परन्तु उनकी अनुपस्थिति से स्वीकृति की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।

वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के पश्चात् सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

5.1.6 वितरण: लघु व मध्यम उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में नोडल संस्था को प्रार्थना–पत्र देना होगा।

5.1.7 नोडल संस्था प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रको प्रसंस्करण हेतु अग्रसारित करेगी।

5.1.8 सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदक द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रको सीधे प्रदान किए जाएंगे।

5.1.9 दस्तावेजों को उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रके स्तर पर परीक्षण एवं स्वीकृति पत्र/लेटर आफ कम्फर्ट में निर्धारित शर्तों के अनुपालनों की पुष्टि के पश्चात, प्रस्ताव को संयुक्त आयुक्त, उद्योग (संयोजक) के माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, एवं तत्पश्चात् औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रद्वारा विभिन्न सुविधाओं का वितरण किया जाएगा।

5.2 वृहत्, मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपक्रम:

5.2.1 आवेदन जमा किया जाना :नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु सभी प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में (वृहद औद्योगिक उपक्रम हेतु अनुलग्नक–I एवं मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा हेतु अनुलग्नक–III) नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेगें।

5.2.2 प्रसंस्करण एवं संवीक्षा:नोडल संस्था प्रारम्भिक जॉच के प्राप्त पश्चात् प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित विभागों को अग्रसारित करेगी जो कि एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियॉ नोडल संस्था को उपलब्ध करायेगें। नोडल संस्था ऐसे सभी प्रस्तावों को प्रसंस्करणित कर स्वीकृति/संस्तुति समिति की बैठक में प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रार्थी उपक्रमों के प्रवर्तक/प्रतिनिधि आमंत्रित किये जायेंगे।

5.2.3 स्वीकृतिः

5.2.3.1 वृहद् औद्योगिक उपक्रमों हेतुः अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति गठित की जायेगी, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगेः

i. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
ii प्रमुख सचिव, वित्त, उ0 प्र0 शासन
iii प्रमुख सचिव, न्याय, उ0 प्र0 शासन
iv प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 शासन
v प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0 प्र0 शासन
vi सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे कि वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।
vii प्राधिकृत संस्था के मुख्य अधिशासी अधिकारी–संयोजक

समिति की बैठक में आवेदक उपक्रम के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे परन्तु उनकी अनुपस्थिति से स्वीकृति की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। स्वीकृति समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी।

बैठक की कार्यवाही के आधार पर सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट का आलेख्य प्रसारित किया जाएगा जिस पर सम्बन्धित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। उक्तके पश्चात् नोडल संस्था द्वारा पात्र औद्योगिक उपक्रमों औपचारिक स्वीकृति पत्र/लैटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

5.2.3.2 मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपक्रमः

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठितइम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियोंके आधार पर मा. मंत्रिपरिषद द्वारासुविधाओं पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी में निम्न सदस्य होंगेः

i अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
ii प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन
iii प्रमुख सचिव, वित्त, उ0 प्र0 शासन
iv प्रमुख सचिव, न्याय, उ0 प्र0 शासन
v प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 शासन
vi प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0 प्र0 शासन
vii प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन
viii सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।

ix प्राधिकृत संस्था के मुख्य अधिशासी अधिकारी–संयोजक

समिति की बैठक में प्रार्थी उपकमों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे।

माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गत हो जाने के पश्चात् नोडल संस्था द्वारा पात्र औद्योगिक उपकमों को औद्योगिक विकास विभाग के अनुमोदन के पश्चात् लैटर आफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा।

5.2.4 <u>वितरण</u>:स्वीकार्यता की तिथि पर पात्र वृहद्, मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपकम वितरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नकII/IV) नोडल संस्था को प्रस्तुत करेगा। नोडल संस्था आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पूँजी निवेश प्रमाण–पत्रों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण व सत्यापन अपने पैनल मूल्यांकनकर्ताओं/चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स/परामर्शदाताओं द्वारा करायेगी।

5.2.4.1 वृहत् औद्योगिक उपकमों के प्रकरणों में, वितरण का प्रार्थना–पत्र स्वीकृति समिति के समक्ष सुविधाओं पर विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात्, नोडल संस्था द्वारा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार विभिन्न सुविधाओं की स्वीकृत राशि का वितरण किया जाएगा।

5.2.4.2 मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपकमों के प्रकरणों मेंप्रस्तावों को इम्पावर्ड समिति की संस्तुति के पश्चात्मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रथम वितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

5.2.4.3 तत्पश्चात् अनुवर्ती वितरण इम्पवार्ड कमेटी ही के अनुमोदन के पश्चात् किये जायेगें।

5.2.4.4 अनुमोदन के पश्चात् नोडल संस्था द्वाराविभिन्न सुविधाओं की स्वीकृत राशि का वितरण राज्य सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जाएगा।

6.0 <u>प्रशासनिक व्यय:</u>

6.1 लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपकमों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति नोडल संस्था को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।

6.2 वृहत् औद्योगिक उपकमों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति नोंडल संस्था को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक औद्योगिक उपकमों

द्वारा किये गये पूँजी निवेश का पैनल मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा किये गये सत्यापन हेतु होने वाले व्ययों को भी आवेदक उपकम द्वारा वहन किया जायेगा।

6.3 मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगाऔद्योगिक उपकमों की स्थिति में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राधिकृत संस्था को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक औद्योगिक उपकमों द्वारा किये गये पूँजी निवेश का पैनल मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा किये गये सत्यापन हेतु होने वाले व्ययों को भी आवेदक उपकम द्वारा वहन किया जायेगा।

7.0 <u>विविध</u> :

7.1 नीति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आबंटित किया जायेगा। औद्योगिक विकास विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मॉग का प्रस्ताव करेंगें।

7.2 वृहद् एवं मेगा श्रेणियों के औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में बजट प्राविधान की धनराशि को अवमुक्त करने की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से तय की जायेगी।

7.3 अन्य विभागों से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु बजट प्रावधान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाएंगे।

7.4 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के किसी बिन्दु के स्पष्टीकरण देने का अधिकार, मूल नीति के प्राविधानों को बिना प्रभावित किए, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का होगा।

7.5 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तनकिये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग सक्षम होगें।

7.6 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों मे ही वाद दायर किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(अलकनन्दा दयाल)
सचिव।

अनुलग्नक–८

लघु, मध्यम और वृहद औद्योगिक उपकमों के लिए आवेदन पत्र

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

पूँजीगत निवेश और परियोजना स्थलके आधार पर आवेदन किए गए औद्योगिक उपकम की श्रेणी

निवेश के लिए मापदंड	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में यथा निर्धारित संयंत्र और मशीनरी में निवेश		25 लाख रू0 से अधिक किन्तु अधिकतम 5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रू0 से अधिक किन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपये ...
निवेश की राशि				

निवेश के लिए मापदंड (वृहद् औद्योगिक उपकम)	नियमों में यथा निर्धारित पूंजीगत निवेश		
मध्यम औद्योगिक उपकम के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की राशि (रू0 दस करोड़) से अधिक और रू0 ...... तक का पूँजी निवेश	बुंदेलखंड और पूर्वांचल निवेश राशि रू0 100 करोड़ तक	मध्यांचल और पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर) निवेश राशि रू0 150 करोड़ तक	गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद निवेश राशि रू0 200 करोड़ तक
निवेश की राशि			
जिला/क्षेत्र			

क.सं.	विवरण	ब्यौरा	सम्बंधित सहायक दस्तावेज
1.	आवेदक का नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण	--	निगमीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी विलेख, न्यास/सोसायटी पंजीकरण विलेख
2.	आवेदक का संघटन (कान्सटीट्यूशन)	कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य	संगम अनुच्छेद/अनुच्छेद/उप-नियम आदि ;डवं।द्धतजपबसमेध्ठल सैंद्ध
3.	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम कापरियोजना स्थल		
4.	निदेशकों/भागीदारों/अन्यों के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		पैन और डिन ;क्प्छद्ध (संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित)
5.	आवेदक की जीएसटीआईएन ;ळैज्प्छद्ध		संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित
6.	औद्योगिक उपकम की प्रकृति	मौजूदा (विस्तार/विविधिकरण)/नया	
7.	उद्योग की श्रेणी		आईडीएंडआर अधिनियम/एनआईसी के अनुसार औद्योगिक श्रेणीकरण
8.	औद्योगिक उपकम की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञा-पत्र		यूएएम (एमएसएमई केलिए)/आईएल/आईईएम (वृहद के लिए) की प्रति संलग्न करें
9.	मौजूदा औद्योगिक उपकमों (विस्तार/विविधिकरण)/प्रस्तावित औद्योगिक उपकमों के मामले में :		

क.सं.	वर्तमान उत्पाद	मौजूदा संस्थापित क्षमता	प्रस्तावित उत्पाद	प्रस्तावित संस्थापित क्षमता	मौजूदा सकल ब्लॉक	प्रस्तावित सकल ब्लॉक

10.	वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख		
11	प्रस्तावित पूँजी निवेश		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;क्प्द्व
11.1	वह तारीख जब से पूँजी निवेश आरंभ किया गया है, या आरंभ किया जाना प्रस्तावित है		
11.2	क्या पूँजी निवेश चरणों में किया जाना प्रस्तावित है		

12. <u>आवेदक द्वारा प्रार्थित लाभ</u>

क.सं.	मद	मात्रा (करोड़)
12.1	वित्तीय लाभों की कुल औसत मात्रा	
	प्रार्थित लाभ का विवरण	
12.2	जीएसटी की प्रतिपूर्ति	
12.3	जीएसटी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति	
12.3.1	10: जीएसटी जहाँ न्यूनतम 25:अनुसूचित जाति/जनजातिकामगार हो, जो पश्चिमांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में न्यूनतम 400 कामगारों और बी–पी–एम में न्यूनतम कुल 200 कामगारों की संख्या के अध्यधीन है	
12.3.2	10: जीएसटी जहाँ न्यूनतम 40:महिला कामगार हो, जो पश्चिमांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में न्यूनतम 400 कामगारों और बी–पी–एम में न्यूनतम कुल 200 कामगारों की संख्या के अध्यधीन है	
12.3.3	10: जीएसटी जहाँ न्यूनतम 25:गरीबी रेखा से नीचे के कामगार हो, जो पश्चिमांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में न्यूनतम 400 कामगारों और बी–पी–एम में न्यूनतम कुल 200 कामगारों की संख्या के अध्यधीन है	
12.4	स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
12.4.1	जिन औद्योगिक उपकमों में 75:इक्विटी	

—	दिव्यांगो/एससी/एसटी/महिला प्रमोटरों के स्वामित्व में हो, उनके मामले में 100: की अधिकतम सीमा तक 20:की दर से अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
12.5	ईपीएफ प्रतिपूर्ति (100 या इससे अधिक अकुशल कामगार)	
12.5.1	10: अतिरिक्त ईपीएफ प्रतिपूर्ति (200 प्रत्यक्ष कुशल और अकुशल कामगार)	
12.5.2	जिन औद्योगिक उपक्रमों में 75:इक्विटी दिव्यांगो/एससी/एसटी/महिला प्रमोटरों के स्वामित्व में हो, उनके मामले में 70: की अधिकतम सीमा तक 10: अतिरिक्त ईपीएफ छूट	
12.6	पूँजी ब्याज उपादान	
12.6.1	जिन औद्योगिक उपकमों में 75:इक्विटी दिव्यांगो/एससी/एसटी/महिला प्रमोटरों के स्वामित्व में हो, उनके मामले में 7०5: की अधिकतम सीमा तक 2०5: की दर से अतिरिक्त पूँजी ब्याज सब्सिडी	
12.7	अवस्थापना ब्याज उपादान	
12.7.1	जिन औद्योगिक उपकमों में 75:इक्विटी दिव्यांगो/एससी/एसटी/महिला प्रमोटरों के स्वामित्व में हो, उनके मामले में 7०5: की अधिकतम सीमा तक 2०5: की दर से अतिरिक्त अवसंरचना ब्याज सब्सिडी	
12.8	औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता विकास आदि पर ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी	
12.9	अस्वीकार की गयी प्लान्ट; भवन निर्माण सामाग्री व अन्य पूँजीगत उत्पादों के सापेक्ष आईटीसी ;प्ज्ब्द्ध की प्रतिपूर्ति	
12.10	स्वयं उत्पन्नित एवं उपयोगित ऊर्जा पर विद्युत शुल्क से छूट	
12.11	विद्युत शुल्क से छूट	
12.12	मंडी शुल्क से छूट	
13.0	दिव्यांग श्रमिकों हेतु 500/– प्रतिमाह पे रोल सहायता	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर दूँगा/देंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

तारीख :

स्थान :

<u>सहायक दस्तावेज:</u>

;d्ध यू ए एम/आई ई एम/आई एल की पावती

;इद्ध समस्त अनुसचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ–साथ पिछले पॉच वर्ष)

;बद्ध विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;क्क्द्ध

;कद्ध मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

;मद्ध सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा औद्योगिक उपकम की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची

;द्धि शपथपत्र(रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक1–अके अनुसार)

अनुलग्नक-।।

लघु, मध्यम और वृहद् औद्योगिक उपकमों के लिए, जिन्हे एल.ओ.सी./स्वीकृति पत्र जारी किए गए है, प्रोत्साहन राशियों के वितण के लिए आवेदन पत्र

1. वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना और दस्तावेज

कम सं	विवरण	ब्यौरा
I)	आवेदक कानाम और पता	
II)	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिकउपकम कापरियोजनास्थल	
III)	किये गये वास्तविक पूँजी निवेश काचरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियॉ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रअथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

2. औद्योगिक उपकम में पात्र iWwजीगत निवेश का ब्यौरा

कम संख्या	मद	नया /मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के आधीन वृद्धि का :
i)	भूमि			
ii)	भवन			
iii)	अन्य निर्माण			
iv)	संयत्र और मशीनरी			
v)	अवस्थापना सुविधाएँ			
vi)	कुल			

टिप्पणी :-

संबधित दस्तावेज, नियमो/सरकारी आदेशों /एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अनुरूप ऊपर बताये अनुसार किए गए iWwजीगत निवेश के लिए सनदी लेखाकार के प्रगाणपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं।

वृहद् औद्योगिक उपकम के मामले में

1. नोडल एजेंसी अपने पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किए गए पूँजीगत निवेश पर परीक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था करेगी।

2. नोडल एजेंसी अपने पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किए गए पूँजीगत निवेश(भूमि, भवन और संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जांच और सत्यापन की व्यवस्था भी करेगी।

उपर्युक्त दो रिपोर्ट पूंजीगत निवेश की मात्रा के निर्धारण के लिए सक्षम समिति के समक्ष लाभो के संवितरण किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत की जाएंगी।

3. औद्योगिक उपकम द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश का विवरण :

कम सं.	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूंजी निवेश				कुल योग
		डीपीआर के अनुसार	एप्रेजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूंजी निवेश)	अंतिम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अब तक (पात्र पूँजी निवेश अवधि तक)		
						10%	90%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.1 जीएसटी के प्रतिपूर्ति		
4.1.1 जीएसटी अधिनियम के आधीन अदा किये कर का ब्यौरा		अपेक्षित दस्तावेज
i.वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जीएसटीआईएन ii.वित्त वर्ष ——— के लिए जमा किए गए जीएसटी के सापेक्ष कर की राशि । iii.निर्मित उत्पाद के सापेक्ष जमा की गयी जीएसटी की राशि iv.अवधि के दौरान जमा किये गये जीएसटी मे से प्रतिपूर्ति हेतु पात्र राशि		संबंधित अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते में प्राप्त जीएसटी के सर्मथन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

इकाई द्वारा अदा किए गए जीएसटी के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज

i. वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ii. संबंधित वित्तीय वर्ष के इकाई स्तरीय लेखा परीक्षित लेखे (जिसके लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति कादावा किया जा रहा है) iii. कम्पनी के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट। iv. इकाई के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, (सनदी लेखाकार, द्वारा प्रमाणित एकल(stand alone) एसजीएसटी विवरण / प्रतिवेदन) v. निर्मित माल/कारोबारी माल/कबाड/स्टॉक टास्फर की बिक्री आदिके समाशोधन के लिए सीए प्रमाण पत्र और इनके सापेक्ष अलग अलग अदा किया गया जीएसटी	-	-

4.2 पूँजी ब्याज उपादान			
4.2.1	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		
4.2.2	संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए स्वीकृत ऋण की राशि		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार
4.2.3	ब्याज की दर		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/ बैंक के साथ करार
4.2.4	स्वीकृति की तारीख		
4.2.5	वितरण की तारीख सहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए वितरित ऋण की राशि।		1. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैक / वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैक / वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।

4.2.6 पूँजी ब्याजउपादान की स्वीकृति के लिए दावों का विवरण

कम सं0	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		आवेदन किए गए ब्याज सब्सिडी की राशि	समर्थन मे अपेक्षित दस्तावेज
		मूल धनराशि	ब्याज		
1.	वर्ष –I ( )				वित्तीय संस्था / बैंक से प्रमाण पत्र अपेक्षित
2.	वर्ष –II ( )				
3.	वर्ष –III ( )				
4.	वर्ष –IV ( )				
5.	वर्ष –V( )				
	कुल -				

4.3 अवस्थापना ब्याज उपादान			
4.3.1	बैकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया		

	गया		
4.3.2	संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर स्वीकृत ऋण की धनराशि	—	स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/ बैंक के साथ करार
4.3.3	ब्याज की दर		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/ बैंक के साथ करार
4.3.4	स्वीकृत की तारीख		
4.3.5	संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित		1.संयंत्र के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक / वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।

4.3.6 अवस्थापना ब्याज उपादानकी स्वीकृति के लिए दावों का विवरण

कम सं0	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		आवेदन किए गए ब्याज सब्सिडी की राशि	समर्थन मे अपेक्षित दस्तावेज
		मूल धनराशि	ब्याज		
1.	वर्ष –I ( )				वित्तीय संस्था / बैंक से प्रमाण पत्र अपेक्षित
2.	वर्ष –II ( )				
3.	वर्ष –III ( )				
4.	वर्ष –IV ( )				
5.	वर्ष –V( )				
	कुल				

5.1 कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति			
5.1.1	100 अकुशल कामगारों के विवरण सहित अकुशल कामगारों की संख्या और संबंधित वर्ष के लिए कर्मचारी–वार अंशदानों का विवरण		मुख्य प्रोत्साहक / प्राधिकृत की ओरसे इस आशय का शपथ पत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य हैं और इकाई में संबंधित वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए इसके सतत रोजगार में 100 अकुशल कामगार थे जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है। कारखाना अधिनियम,1948 के अन्तर्गत प्रपत्र–12 की प्रति।
5.1.2	अन्य कामगारों की संख्या		
5.1.3	कामगारों की कुल संख्या		
5.1.4	ईपीएफ प्रतिपूर्ति के लिए दावों का ब्यौरा		ईपीएफओ या कर्मचारी के भविष्य निधि न्यास में अदा किए गए अशदानों का महीना–वार ब्यौरा, जिसे ईपीएफओ के संबंधित सक्षम अधिकारी/न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
6.1 औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार के विकास के लिए ब्याज सब्सिडी			
6.1.1	बैकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		
6.1.2	संयंत्र और मशीनरी में निवेशपर स्वीकृत ऋण की धनराशि		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार
6.1.3	ब्याज की दर		
6.1.4	स्वीकृत की तारीख		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार
6.1.5	परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला और उपस्कर कक्ष के लिए संयंत्र और मशीनरी और उपस्करों में निवेश के लिए वितरित ऋण की धनराशि, वितरणकी तारीखों सहित।		1.संयंत्र के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक / वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।

6.2.1 औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार के विकास के लिए सब्सिडी की स्वीकृति का विवरण

कम सं0	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		आवेदन किए गए ब्याज सब्सिडी की राशि	समर्थन मे अपेक्षित दस्तावेज़
		मूल धनराशि	ब्याज		
1.	वर्ष –I ( )				वित्तीय संस्था / बैंक से प्रमाण पत्र अपेक्षित
2.	वर्ष –II( )				
3.	वर्ष –III ( )				
4.	वर्ष –IV ( )				
5.	वर्ष –V ( )				
	कुल				

7	गरीबी रेखा से नीचे के कामगारो का विवरण,समर्थक दस्तावेजों सहित (कर्मचारी विशिष्ट संख्याएं, ईपीएफओ संख्या, बीपीएल कार्ड, कर्मचारी वेतन सूची (पे रोल) आदि)
8	अनुसूचित जाति/जनजाति के कामगारों का विवरण, समर्थक दस्तावेजों और कर्मचारी पे रोल सहित
9	महिला कामगारों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित
10	प्राप्त की गई स्टाम्प डयूटी छूट की विस्तृत गणना
11	प्राप्त की गई मण्डी शुल्क छूट की विस्तृत गणना
12	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना
13	दिव्यांश श्रमिकों हेतु पे रोल सहायता का विस्तृत विवरण

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र- विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभो के लिए आवेदन नही किया है।

मै/हम एतदद्वारा सहमत हूँ/है कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2017 के नियमों अधीन यदि यँह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :

<u>अनुलग्नक–**III**</u>

मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपकमों हेतु आवेदन प्रपत्र

(सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदक द्वारा प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा)

<u>पूँजी निवेश/परियोजना स्थल/प्रस्तावित रोजगार के आधार परआवेदक औद्योगिक उपकम की श्रेणी</u>

क. <u>क्षेत्रीय निवेश के आधारपर</u>

निवेश के लिए मापदंड	निवेश राशि	जिला/क्षेत्र			औद्योगिक उपकम की श्रेणी	जहॉं लागू हो सही का चिहन लगाएं
		बुंदेलखंड – पूर्वांचल	मध्यांचल पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर)	गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद		
पूँजी निवेश जैसा कि नियमावली में परिभाषित है।	वृहद् औद्योगिक उपकमों के लिए निर्धारित निवेश राशि से अधिक एवं रू......करोड़ तक	>100<250	>150<300	>200<500	मेगा	
		=>250<500	=>300<750	=>500<1000	मेगा प्लस	
		=>500	=>750	=>1000	सुपर मेगा	

<u>अथवा</u>

ख. <u>क्षेत्रीय रोजगार के आधार पर</u>

श्रमिकों की प्रस्तावित संख्या	क्षेत्र	औद्योगिक उपकम की पात्र श्रेणी	जहॉं लागू हो सही का चिन्ह् लगाएं
500	बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल	मेगा	
750	मध्यांचल और पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद छोड़कर)	मेगा	

1000	बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल	मेगा प्लस	
	गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद	मेगा	
1500	मध्यांचल और पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर)	मेगा प्लस	
2000	बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल	सुपर मेगा	
	गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	मेगा प्लस	
3000	मध्यांचल औ पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर)	सुपर मेगा	
4000	गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	सुपर मेगा	

1.	आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण		निगमन प्रमाणपत्र, पंजीकृत साझेदारी अनुबन्ध, ट्रस्ट/सोसाइटी पंजीकरण अनुबन्ध का प्रमाण पत्र
2.	आवेदक का संघटन (कान्सटीट्यूशन)		कंपनी/साझेदारी फर्म/अन्य (मेमोरेंड़म/आर्टिकल्स/बाईलॉ इत्यादि)
3.	वर्तमान/प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम का परियोजना स्थल		
4.	निदेशकों/साझेदारों/अन्य का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण		पेन और डिन (PAN & DIN No) संख्या (संगत दस्तावेज सहित)
5.	आवेदक का जीएसटीआईएन		संगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित
6.	औद्योगिक उपक्रम की प्रकृति		नई/विस्तारीकरण/विविधीकरण
7.	उद्योम की श्रेणी		आईडी एवं आर अधिनियम/एनआईसी के अनुसार औद्योगिक श्रेणीकरण
8.	औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञप्ति		आईईएम/आईएल की पावती संलग्न करें

9.	निर्मित किये जाने वाले वर्तमान/प्रस्तावित उत्पादों का विवरण एवं उनकी क्षमता (बाहय सलाहकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें)					
क.सं	वर्तमान उत्पाद	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता	प्रस्तावित उत्पाद	प्रस्तावित अधिष्ठापितक्षमता	वर्तमान ग्रॉस ब्लॉक	प्रस्तावित ग्रॉस ब्लॉक

10.	विस्तारीकरण/विविधीकरण के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की प्रस्तावित तिथि		आईईएम का भाग–2/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र
11.	प्रस्तावित पूँजी निवेश		
11.1	पूँजी निवेश आरम्भ होने की तिथि या पूँजी निवेश आरम्भ होने की प्रस्तावित तिथि (कट ऑफ तिथि)		
11.2	क्या प्रस्तावित पूँजी निवेश चरणों में है		
11.3	प्रस्तावित निवेश एवं उत्पादन आरम्भ करने की तिथियों का चरणबद्ध विवरण		

12. <u>आवेदक द्वारा निवेदित लाभ</u>

क.सं.	मद	राशि (रूपये करोड़ में)
12.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की राशि	
निवेदित सुविधाएं		
12.2	जमा किये गये जीएसटी की प्रतिपूर्ति	
12.3	जमा किये गये जीएसटी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति	
12.3.1	10% जीएसटी, जहाँ न्यूनतम 25 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा के कर्मचारी कार्यरत हैं बशर्ते पूर्वांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 400 हो और बी–पी–एम में न्यूनतम संख्या 200 कर्मचारी हो।	
12.3.2	10%जीएसटी, जहाँ न्यूनतम 40 प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत हैं बशर्ते पूर्वंचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 400 हो और बी–पी–एम में न्यूनतम संख्या 200 कर्मचारी हों।	
12.3.3	10%जीएसटी, जहाँ न्यूनतम 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के	

	कर्मचारी कार्यरत हैं बशर्ते पूर्वांचल में स्थित औद्योगिक उपकमों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 400 हो और बी–पी–एम में न्यूनतम संख्या 200 कर्मचारी हो।	
12.4	**स्टाम्प ड्यूटी में छूट**	
12.4.1	दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा/महिला प्रमोटरों की 75%इक्विटी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपकम के मामले में 20%की दर से अधिकतम 100%की अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट	
12.5	**ईपीएफ प्रतिपूर्ति (100 या अधिक अकुशल श्रमिक)**	
12.5.1	अतिरिक्त 10%ईपीएफ प्रतिपूर्ति (200 प्रत्यक्ष कुशल और अकुशल श्रमिक)	
12.5.2	दिव्यांग/अ.जा/अ.जा/महिला प्रमोटरों की 75%इक्विटी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपकम के मामले में अधिकतम 70%तक अतिरिक्त 10 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति	
12.6	**पूँजीगत ब्याज उपादान**	
12.6.1	दिव्यांग/अ.जा/अ.ज.जा/महिला प्रमोटरों की 75%इक्विटी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपकम के मामले में अधिकतम 7.5%तक 2.5 प्रतिशत की अतिरिक्त पूँजीगत ब्याज उपादान	
12.7	**अवस्थापना ब्याज उपादान**	
12.7.1	जिन औद्योगिक उपकमों में 75%इक्विटी दिव्यांगो/एससी/एसटी/महिला प्रमोटरों के स्वामित्व में हो, उनके मामले में 7.5%की अधिकतम सीमा तक 2.5 की दर से अतिरिक्त अवस्थापना ब्याज उपादान	
12.8	औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता विकास आदि पर ऋणों के लिए ब्याज उपादान	
12.9	अस्वीकार की गयी प्लान्ट, भवन निर्माण सामाग्री व अन्य पूँजीगत उत्पादों के सापेक्ष आईटीसी (ITC)की प्रतिपूर्ति	
12.10	स्वयं उपभोग हेतु कैप्टिव पावर पर विद्युत शुल्क से छूट	
12.11	पावर कम्पनियों से पावर कय करने पर विद्युत शुल्क से छूट	
12.12	मंडी शुल्क से छूट	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी तथ्य को छुपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अंतर्गत उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नही किया है।

मैं/हम एतद्वार सहमत हूँ/हैं कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

नाम, पदनाम तथा सरकारी सील सहित
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तिथिः
स्थानः

आवश्यक दस्तावेज

अ. यूएएम/आईईएम/आईएल पावती
ब. बाहय सलाहकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
स. औद्योगिक उपक्रम के वर्तमान ग्रास ब्लाक हेतु चार्टर्डएकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र
द. ग्रास ब्लाक के समर्थन में वर्तमान औद्योगिक उपक्रम की स्थायी सम्पत्तियों की सूची, चार्टर्ड इन्जीनियर द्वारा प्रमाणित
य. रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग (अनुलग्नक 1–अ पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार)।

अनुलग्नक–IV

मेगा, मेगा प्लस तथा सुपर मेगा औद्योगिक उपकमों के लिए सुविधाओं केवितरण हेतु आवेदन पत्र

1. सूचना

क.सं.	मद	विवरण
i.	आवेदक का नाम व पता	
ii.	औद्योगिक उपकम. कापरियोजना स्थल	
iii.	चरणबद्ध वास्तविक निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तिथियों का विवरण (सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रअथवा स्टैच्यूटरी आडिटरका प्रमाणपत्र अथवा आई.ई.एम. भाग–2	

2. औद्योगिक उपकम में पात्र पूँजी निवेश का विवरण				
कम सं.	मद	नया /वर्तमान	विस्तारीकरण/विविधीकरण	विस्तारीकरण/विविधीकरण के अन्तर्गत वृद्धि (प्रतिशत)
i.	भूमि			
ii.	भवन			
iii.	अन्य निर्माण			
iv.	संयंत्र और मशीनरी			
v.	अवस्थापना सुविधाएं			
	कुल			

नोटः उपरोक्त किये गये. पूँजी निवेश हेतु स्टैच्यूटरी आडिटरका प्रमाणपत्र संगत दस्तावेजों सहित संलग्न करें।

3. औद्योगिक उपकम में पूँजी निवेश का विवरण रू0 करोड़ में

कम सं.	मद	परियोजना लागत		वास्तविक पूँजी निवेश(स्टैच्यूटरी आडिटर के प्रमाणपत्र के अनुसार)				कुल योग
		डीपीआर के अनुसार	एप्रेजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूँजी निवेश)	अंतिम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अब तक (पात्र पूँजी निवेश अवधि तक)		
						10%	90%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

i.	भूमि एवं स्थल विकास								
ii.	भवन एवं सिविल वर्क्स								
iii.	संयंत्र और मशीनरी								
iv.	विभिन्न स्थायी सम्पत्तियां								
v.	टेक्निकल नो–हाउ शुल्क								
vi.	निर्माण के दौरान ब्याज								
vii.	प्रिलिमिनरी एवं प्री आपरेटिव खर्चे								
viii.	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी								

आवश्यक दस्तावेज

(i) (i) क्रय मूल्य को दर्शाता पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री), (ii) स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान की पावती, (iii)रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की पावती,(iv)यदि नीलामी में यूपीएसआईडीसी/डीआई/एफआई/बैंकों से भूमि खरीदी है तो भुगतान किए गए मूल्य के समर्थन में आवश्यक अभिलेख।

(ii) निर्मित या निर्माण किए जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यो की विस्तृत लागत अनुमान(विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रैजल नोट के अनुसार) और इसके साथ बाह्य परामर्शदाताओं/सी.ए. फर्मो द्वारा तैयार ले–आउट प्लान और लागत अनुमान तथा साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत।

(iii)स्क्रूटनी/वेरिफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु नियमावली के प्राविधानो के अनुसार आइटमवाइस संयंत्र और मशीनरी तथा विविध अचल परिसम्पत्तियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूँजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।

(iv)उपरोक्त(iii)के अनुसार

(v), (vi), (vii) एवं (viii)पर इंगित मदों में किया गया पूँजी निवेश अर्ह नही होगा

1. नोडल एजेंसी अपने पैनल की सी.ए. फर्मों के माध्यम से शासनादेश के प्रावधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किए गए पूँजीगत निवेश की जांच और प्रमाणन की व्यवस्था करेंगी।
2. नोएडा एजेंसी अपने पैनल के परामर्शदाताओं/वेल्युवर/इंजीनियर के माध्यम से स्थल पर पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन तथा संयंत्र व मशीनरी) के संस्थापन और सत्यापन की जॉच करने की भी व्यवस्था करेगी।

पूँजी निवेश की राशि का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त दो रिपोर्टों को सक्षम समिति के समक्ष सुविधाओं के वितरण के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1	जीएसटी की प्रतिपूर्ति		
4.1.1	जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कर का विवरण		अपेक्षित अभिलेख
	i. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जीएसटीआईएन		संगत अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते में प्राप्त जीएसटी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र
	ii. वित्त वर्ष ..... के लिए जमा कराए गए जीएसटी की राशि		
	iii. जमा किये गये जीएसटी के अन्तर्गत निर्मित उत्पादों पर स्वीकृत कर की राशि वित्त वर्ष		
	iv. जमा किये गये जीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र राशि वित्त वर्ष		
इकाई द्वारा प्रदत्त जीएसटी के समर्थन में अपेक्षित अभिलेख			
i.	वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र		
ii.	संगत वित्तीय वर्ष के लिए इकाई स्तर के आडिटेड लेखे (जिनके लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है)		
iii.	कम्पनी के लिए संगत वित्तीय वर्ष हेतु जीएसटी आडिटेड रिपोर्ट		
iv.	इकाई के लिए संगत वित्तीय वर्ष हेतु जीएसटी आडिटेड रिपोर्ट (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित इकाई के लिए एकल (स्टैंडएलोन) जीएसटी विवरण/रिपोर्ट)		
v.	निर्मितमाल/कारोबारी माल/कबाड़/स्टॉक ट्रान्सफर की विक्री समाशोधन के लिए सी.ए. प्रमाणन और इसके लिए अलग से अदा किया गया जीएसटी।		
4.2	पूँजीगत ब्याज उपादान		
4.2.1	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम व पता, जिनसे ऋण लिया गया है		
4.2.2	संयंत्र और मशीनरी के मद में किये गये निवेश हेतु स्वीकृत ऋण की राशि		स्वीकृति पत्र, एफआई/बैंक के साथ अनुबन्ध।
4.2.3	ब्याज की दर		स्वीकृति पत्र, एफआई/बैंक के साथ अनुबन्ध।

4.2.4	स्वीकृति की तिथि		
4.2.5	संयंत्र और मशीनरी के मद में किये गये निवेश हेतु लिये गये ऋण वितरण की राशि तिथि सहित		1. संयंत्र और मशीनरी पर ऋण और ब्याज तथा अन्य संगत विवरण को प्रमाणित करते हुए बैंक का प्रमाण–पत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान खाते में चूक न होने का प्रमाण–पत्र।

4.2.6	पूँजीगत ब्याज़ उपादान की स्वीकृति के लिए दावों का विवरण					
	क.सं.	उपादान के लिए आवेदन का वर्ष	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों/बैंकों को किया गया भुगतान		आवेदित ब्याज उपादान की राशि	इसके समर्थन में अपेक्षित अभिलेख
			मूल	ब्याज		
	1.	वर्ष–I( )				वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अपेक्षित प्रमाणपत्र
	2.	वर्ष–II( )				
	3.	वर्ष–III( )				
	4.	वर्ष–IV( )				
	5.	वर्ष–V( )				
		कुल				

5.1	अवस्थापना ब्याज उपादान		
5.1.1	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम व पता, जिनसे ऋण लिया गया है		
5.1.2	अवस्थापना सुविधाओं, जैसा परिभाषित किया गया है, के मद में किये गये निवेश पर स्वीकृत ऋण की राशि		स्वीकृति पत्र, एफआई/बैंक के साथ अनुबन्ध।
5.1.3	ब्याज की दर		स्वीकृति पत्र, एफआई/बैंक के साथ अनुबन्ध।
5.1.4	स्वीकृति की तिथि		
5.1.5	अवस्थापना सुविधाओं के मद में किये गये निवेश हेतु लिये गये ऋण वितरण की राशि तिथि सहित		1. संयंत्र और मशीनरी पर ऋण और ब्याज तथा अन्य संगत विवरण को प्रमाणित करता बैंक का प्रमाणपत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान खाते में चूक न होने का प्रमाणपत्र।

5.1.6	अवस्थापना ब्याज उपादान की स्वीकृति के लिए दावों का विवरण					
	क्र. सं.	उपादान के लिए आवेदन का वर्ष	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों/बैंकोंको किया गया भुगतान		आवेदित ब्याज उपादान की राशि	इसके समर्थन में अपेक्षित अभिलेख
			मूल	ब्याज		
	1.	वर्ष–I( )				वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अपेक्षित प्रमाणपत्र
	2.	वर्ष–II( )				
	3.	वर्ष–III( )				
	4.	वर्ष–IV( )				
	5.	वर्ष–V ( )				
		कुल				

6.1	कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति		
6.1.1	100 अकुशल कामगारों के पूर्व विवरण सहित अकुशल कामगारों की संख्या तथा संगत वर्ष के लिए कर्मचारी–वार अंशदान।		प्रमुख प्रमोटर/प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का शपथपत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य हैं और कि उस संगत वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए निरंतर रोजगार के तहत इस इकाई में 100 अकुशल कामगार हैं, जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रपत्र–12 की प्रति।
6.1.2	अन्य कामगारों की संख्या		
6.1.3	कामगारों की कुल संख्या		
6.1.4	ईपीएफ प्रतिपूर्ति हेतु दावों का विवरण		ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में भुगतान किए गए अंशदान का माहवार विवरण, जिसे ईपीएफओ के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/ट्रस्ट के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
7.1	औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास हेतु ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति		
7.1.1	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम व पता, जिनमें ऋ.ण लिया गया है।		
7.1.2	औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकासके मद में किये गये निवेश पर स्वीकृत ऋण की राशि		स्वीकृति पत्र, एफआई/बैंक के साथ अनुबन्ध

7.1.3	ब्याज की दर		स्वीकृति पत्र, एफआई/बैंक के साथ अनुबन्ध
7.1.4	स्वीकृति की तिथि	–	
7.1.5	औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के मद में निवेश हेतु लिये गये ऋण के वितरण का विवरण, तिथि सहित		1. औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास हेतु ऋण और ब्याज तथा अन्य संगत विवरण को प्रमाणित करता बैंक का प्रमाणपत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि जिसक लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान खाते में चूक न होने का प्रमाणपत्र।

7.1.6 औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास हेतु ब्याज उपादान की स्वीकृति के लिए दावों का विवरण

क.सं.	ब्याज उपादानके लिए आवेदन का वर्ष	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों/बैंकों को किया गया भुगतान		आवेदित ब्याज उपादान की राशि	इसके समर्थन में अपेक्षित अभिलेख
		मूल	ब्याज		
1.	वर्ष–I ( )				वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अपेक्षित प्रमाणपत्र
2.	वर्ष–II ( )				
3.	वर्ष–III ( )				
4.	वर्ष–IV( )				
5.	वर्ष–V ( )				
	कुल				

8.	गरीबी रेखा से नीचे के श्रमिकों का विवरण,समर्थक दस्तावेजों सहित (कर्मचारी विशिष्ट संख्याएं, ईपीएफओ संख्या, बीपीएल कार्ड, कर्मचारी वेतन सूची (पे रोल) आदि)
9.	अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रमिकों का विवरण, समर्थक दस्तावेजों और कर्मचारी पे रोल सहित
10.	महिला श्रमिकों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित
11.	प्राप्त की गई स्टाम्प डयूटी छूट की विस्तृत गणना
12.	प्राप्त की गई मण्डी शुल्क छूट की विस्तृत गणना
13.	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभो के लिए आवेदन नही किया है।

मै/हम एतदद्वारा सहमत हूॅं/है कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2017 के नियमों अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :

अनुलग्नक 1–अ

कम्पनी के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय किये गये रू0 10/– के जनरल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी के समक्ष शपथ पत्र

शपथ पत्र

मैं, ...आयु...........................वर्ष , पुत्र (श्री/स्व0)..., निवासी ....मे0.. जिसका पंजीकृत कार्यालय ....पर स्थित है, का अधिकृत हस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ एवं निम्नवत घोषणा करता हूँ :–

1. यह कि शपथी मे0..का ....है एवं कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव दिनांक ....के द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है।
   (अ) यह कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य सरकार की किसी उद्योग विशेष सम्बन्धी विभागीय नीति के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा कोई लाभ न तो प्राप्त किया गया है और न ही भविष्य में प्राप्त करेंगे।

2. यह कि मैं ....निम्नवत शपथ लेता हूँ :–

   (अ) यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा शासनादेश संख्या...दिनांक ....में उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति मे यदि यह पाया गया कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा किसी शर्त का उल्लधन किया गया है अथवा असत्य जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो ऐसी दशा में आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम को स्वीकृत विशेष सुविधाओं को वापस लिये जाने पर कोई आपत्ति नही की जायेगी।

   (ब) यह कि यदि किसी भी कारणवश वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक वित्तीय लाभ की राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति –2017 के अन्तर्गत वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक प्राप्त किये गये वित्तीय लाभ की राशि को वापस किया जायेगा।

3. यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सूचनाएं/दस्तावेज, मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

स्थान
दिनांक

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं .... उपरोक्त नामित शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तर 1 से 3 पर इंगित विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है एवं कोई भी तथ्यपरक जानकारी छुपाई नही गयी है एवं दोषरहित है। इसलिए ईश्वर मेरी सहायता करें।

सत्यापित एवं हस्ताक्षरित .... दिनांक ....

शपथकर्ता

नोट :– कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, जिसके द्वारा शपथकर्ता को उपरोक्त शपथपत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति शपथपत्र के साथ संलग्न करें।

अनुलग्नक–V

पूर्वान्चल	बुन्देलखण्ड	पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद छोडकर)
फैजाबाद मण्डल	झांसी मण्डल	आगरा मण्डल
1. फैजाबाद	1. झांसी	1. आगरा
2. अम्बेडकरनगर	2. जालौन	2. फिरोजाबाद
3. बराबंकी	3. ललितपुर	3. मैनपुरी
4. सुल्तानपुर	चित्रकूट	4. मथुरा
5. अमेठी	4. बांदा	अलीगढ मण्डल
गोरखपुर मण्डल	5. चित्रकूट	5. अलीगढ
6. गोरखपुर	6. हमीरपुर	6. हाथरस
7. देवरिया	7. महोबा	7. कासगंज
8. महाराजगंज		8. एटा
9. कुशीनगर	मध्यॉचल	मुरादाबाद मण्डल
इलाहाबाद मण्डल		9. मुरादाबाद
10. इलाहाबाद	कानपुर मण्डल	10. बिजनौर
11. कौशाम्बी	1. कानपुर नगर	11. सम्भल
12. फतेहपुर	2. कानपुर देहात	12. रामपुर
13. प्रतापगढ़	(रमाबाईनगर)	13. अमरोहा
वाराणसी मण्डल	3. इटावा	मेरठ मण्डल
14. वाराणसी	4. औरैया	14. मेरठ
15. चन्दौली	5. फर्रूखाबाद	14. बुलन्दशहर
16. जौनपुर	6. कन्नौज	16. हापुड (पंचशील नगर)
17. गाजीपुर	लखनऊ मण्डल	17. बागपत
मिर्जापुर मण्डल	7. लखनऊ	सहारनपुर मण्डल
18. मिर्जापुर	8. हरदोई	18. मुज़फ्फरनगर
19. सन्तरविदासनगर	9. लखीमपुर खीरी	19. शामली
(भदोही)	10. रायबरेली	20. सहारनपुर
20. सोनभद्र	11. सीतापुर	बरेली मण्डल
आजमगढ़ मण्डल	12. उन्नाव	21. बरेली
21. आजमगढ़		22. बदायूँ
22. बलिया		23. पीलीभीत
23. मऊ		24. शहजहांपुर
देवीपाटन मण्डल		
24. गोण्डा		
25. बहराइच		
26. बलरामपुर		
27. श्रावस्ती		
बस्ती मण्डल		
28. बस्ती		
29. सन्तकबीरनगर		
30. सिद्धार्थनगर		